



## विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रेस विज्ञप्ति

कतिपय मामलों में ऐसे दृष्टान्त पाए गए हैं कि जानकारी के अभाव में कुछ छात्र ऐसे संस्थानों में नामांकन करा लेते हैं, जिनकी मान्यता सक्षम प्राधिकार से प्राप्त नहीं होती है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों एवं उसमें संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की मान्यता के संबंध में पूर्ण जानकारी हो।

अतएव राज्य के छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि बिहार में संचालित गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के पूर्व संबंधित संस्थान एवं उसमें संचालित पाठ्यक्रमों की सक्षम प्राधिकार से मान्यता के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत ही संबंधित संस्थान में लिया जाना चाहिए।

राज्य में संचालित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों की अद्यतन सूची AICTE के वेबसाइट [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org) / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के वेबसाइट [www.dst.bih.nic.in/](http://www.dst.bih.nic.in/) SBTE बिहार के वेबसाइट [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) पर उपलब्ध है।

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना

PR-0005016(Sci. & Tech.) 2021-22

किसी भी तरह के अप्रत्यक्ष एवं अत्यंत सूझाव हेतु आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।